झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1119 वर्ष 2017

नेहा कुमारी सिन्हा .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. सचिव, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग के माध्यम से झारखंड राज्य
2. विश्वविद्यालय, रांची के कुलाधिपति
3. कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
4. कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
5. परीक्षा नियंत्रक, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
6. प्रधानाध्यापक, श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट महिला महाविद्यालय, धनबाद

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री रौनक सहाय, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री सौमित्र बरोई, जी0पी0–VI के जे0सी0

उत्तरदाता सं0 2 के लिएः– श्री भवेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता–विश्वविद्यालय के लिएः–डॉ0 अशोक कु0 सिंह, अधिवक्ता

03/06.03.2017 दिनांक 23.02.2017 का आदेश इस प्रकार हैः

''याचिकाकर्ता का कहना है कि 09.05.2016 से 12.05.2016 के बीच बीमारी के कारण वह पेपर सी0सी0–3ःप्रबंधन सिद्धांत और अनुप्रयोग, सी0सी0–4ःकॉर्पोरेट कानून और व्यापार सांख्यिकी की आंतरिक परीक्षा में शामिल नही हो सकी, हालांकि वह पर्यावरण

विज्ञान की आंतरिक परीक्षा के लिए 12.05.2016 को किसी तरह से उपस्थित हुई, जहां दुर्भाग्य से उन्हें शून्य अंक दिए गए।

विनियम 14 (iv) (बी) के तहत प्रतिवादी–विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के ''बी0ए0 / बी0एससी0 / बी0कॉम0 जनरल एंड ऑनर्स डिग्री प्रदान करने वाले पूर्णकालिक तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए विनियम के अनुसार, यदि कोई छात्र किसी वैध कारण से मध्य–सेमेस्टर परीक्षा से चूक जाता है, तो कॉलेज का परीक्षा विभाग ऐसे छात्र द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपस्थिति के दस्तावेजी प्रमाण से संतुष्ट होने पर ऐसे छात्र के लिए एक विशेष मध्य–सेमेस्टर परीक्षा की व्यवस्था कर सकता है। हालांकि, ऐसे सभी मामलों के लिए केवल एक विशेष मध्य–सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसे मध्य सेमेस्टर परीक्षा के पूरा होने की तारीख से एक महीना के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह हमेशा आंतरिक परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार रही है, लेकिन दूसरे सेमेस्टर के दौरान इस तरह की कोई अन्य मध्य–सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई, हालांकि पहले सेमेस्टर में, इस तरह की आंतरिक परीक्षाएं रिट याचिका के पैरा–29 में दिए गए बयानों के अनुसार दो से तीन बार आयोजित की गई। विश्वविद्यालय ने केवल इसी कारण से आगामी तीसरे सेमेस्टर के लिए प्रवेश फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता और अन्य छह छात्रों ने भी इस न्यायालय में आने से पहले अपना पक्ष रखा है।

विश्वविद्यालय के विद्वान वकील इस मामले में कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों से निर्देश प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय चाहते हैं। मामले को एक सप्ताह के बाद

दिनांक 06.03.2017 को उसी शीर्षक के तहत दैनिक कारण सूची में एक अनिश्चित मामले के रूप में पहले 10 मामलों के भीतर सूचीबद्ध करें।

इस बीच, प्रत्यर्थी–विश्वविद्यालय तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए याचिकाकर्ता के परीक्षा प्रपत्रों को स्वीकार करेगा और याचिकाकर्ता को रिट याचिका के परिणाम के अधीन आगामी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित अनंतिम रूप से होने की अनुमति देगा।

प्रकथनों और सहायक दस्तावेजों से पता चलता है कि छह और छात्र हैं, जिन्होनें याचिकाकर्ता के साथ संयुक्त रूप से अभ्यावेदन इस तरह की शिकायत के साथ परीक्षा नियंत्रक, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजरीबाग, प्रत्यर्थी संख्या 5 के समक्ष किया है। विश्वविद्यालय उनके मामलों में भी एक समान रूख अपना सकता है, यदि उसे इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि वे एक ही पायदान पर खड़े हैं।

2. याचिकाकर्ता को तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा का सामना करने की अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि उसी बैच के अन्य समान रूप से स्थित छात्रों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। हालांकि, वह इस निर्देश पर यह निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता या छात्रों के किसी अन्य समूह ने कभी भी दूसरी आंतरिक परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध करने का साहस नहीं किया। विनियमन के अनुसार विश्वविद्यालय ऐसे अनुराध पर, यदि वह उल्लिखित कारणों से संतुष्ट है, तो निर्णय लेता है। वह निवेदन करते हैं कि विश्वविद्यासलय और संस्थान यदि अनुमति दी जाती है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आवेदन परीक्षा नियंत्रक को किया गया था।

4. हालांकि, इस तर्क को विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा खंडन किया गया है।

5. तत्काल मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता बीमारी के आधार पर 09.05.2016 से 12.05.2016 के बीच निर्धारित चार आंतरिक परीक्षाओं में से तीन में चूक गयी। हालांकि, वह 12.05.2016 को कॉर्पोरट कानून और व्यापार सांख्यिकी पेपर में उपस्थित हुई, लेकिन उन्हें शून्य अंक दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने 350 में से 193 अंक यानी 55.14 प्रतिशत प्राप्त किए हैं, जो आवश्यक पास मार्क्स से अधिक है। इसलिए विश्वविद्यालय सहानुभूतिपूर्वक तरीके से कानून के अनुसार याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य किसी भी उम्मीदवार के आवेदन पर विचार करेगा, यदि उपरोक्त तिथियों के बीच आयोजित आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित होने के आधार से संतुष्ट हो जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के निर्धारण पर, परिणाम सामने आएगा और याचिकाकर्ता, यदि अनुमति दी जाती है, तो निर्धारित तिथि पर आंतरिक परीक्षा का सामना करेगी।

6. तद्नुसार रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)